निगरानी 729-I-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निगरानी 729-I-15

श्री ..... द्वारा आज दि. 9-4-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नरेन्द्र कुमार नायक पुत्र श्री रामरतन नायक

निवासी– ग्राम चंन्द्रनगर ,तहसील राजनगर ,

जिला छतरपुर म.प्र. ....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला

छतरपुर म.प्र. ....अनावेदक

(L.S. Dhakad Adv. 09.04.15)

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ–19 4 /05–06 स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.03.15 के विरूद्ध प्रस्तुत ।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेपित है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

यहकि, विवादित् भूमि सर्वे क्रमांक 232/2/1स रकवा 0.554 हैक्टेयर विवादित् भूमि ग्राम शिवराजपुर , तहसील राजनगर , जिला छतरपुर में स्थित है। जिस पर आवेदक का लगभग 38 वर्षों से लगातार कब्जा चला आ रहा है । आवेदक ने तहसील न्यायालय राजनगर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि विशेप उपवंघ दखल रहित भूमि व्यवस्थापन के अंर्तगत पटटा दिया जावें । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक. 6/अ–19/4/2001–02 पर दर्ज किया जाकर विधिवत उद्वधोपणा का प्रकाशन किया गया , नियत समय में कोई आपत्ति नही आयी, ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारी से राय ली गई ,हल्का पटवारी का प्रतिवेदन ,समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का विवादित भूमि पर 02.10.84 से पूर्व का कब्जा प्रमाणित पाते हुये आवेदक को विवादित भूमि का भूमि स्वामी ।। पटटा।। तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.02 से स्वीकार किया गया ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-729-एक/2015 जिला छतरपुर नरेन्द्र विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ-19 4/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30-03-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-04-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 16.01.19
सदस्य